

## न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:- 12/129/2024

रजू दिनांक: 27.09.2024

रजि0 न0 2024/235

अपीलार्थी:-

श्री हैदर पुत्र इसराइल, निवासी 35 सैंट  
अंसलम स्कूल के पीछे मूंगसका, तहसील  
अलवर, जिला अलवर-302020 (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला  
कलेक्टर (द्वितीय), अलवर जिला अलवर  
301001 (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 28.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 14.07.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 10.09.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 07.10.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/2006 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांक 14.07.2024 के परिपेक्ष्य में बिन्दुवार वांछित सूचना चाही गई है, जिसके क्रम में सूचना आवेदन के बिन्दु संख्या "ए" व "एफ" के संबंध में कार्यालय पत्रांक 1693-95 दिनांक 28.08.2024 के माध्यम से आंशिक सूचना प्रेषित की जा चुकी है, शेष सूचना के संबंध में पुनः सूचना संकलित किए जाने पर, अति0 जिला कलेक्टर (शहर) एवं अध्यक्ष, अवैध भू-जल रोकथाम दल, अलवर के पत्र सं0 विकास/2024/1272-73 दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, जो नियमानुसार अधिप्रमाणित कर संलग्न प्रेषित है, शेष बिन्दु संख्या "जी" में वांछित समय-सीमा संबंधी सूचना राज्य सरकार से संबंधित है, उन्ही के स्तर पर पृथक से सूचना आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त की जा सकती है। अन्य कोई सूचा शेष नहीं है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रथम अपील के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी बिन्दुवार सूचना के संबंध में पत्रांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/2005 दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है तथा शेष बिन्दु संख्या "जी" में वांछित समय-सीमा संबंधी सूचना राज्य सरकार से संबंधित है, उन्ही के स्तर पर पृथक से सूचना आवेदन प्रस्तुत कर सूचना/जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दपतर हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)  
जिला कलेक्टर अलवर  
(राजस्थान)